



Neutral Citation No. -2026:AHC:16788

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 4026 वर्ष 2025

कुंज लाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संजय कुमार पांडे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“ए. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकरण को निर्देशित/आदेशित किया जाए कि वह ग्राम जंगल मटादीन, थाना-शाहपुर, जनपद- गोरखपुर स्थित आराजी संख्या 121 (सार्वजनिक मार्ग) पर प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए।

बी. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित/आदेशित किया जाए कि वह दिनांक 14.10.2025 के प्रत्यावेदन का निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय करे।”

2. विवादित भूखण्ड, जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6-2 के भूखण्ड (आबादी) के रूप में दर्ज है, से निजी प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 का अवैध अतिक्रमण हटाए जाने हेतु प्रार्थना की गई है।
3. तहसीलदार, सदर, गोरखपुर द्वारा प्रेषित दिनांक 6.1.2026 की निर्देश-पत्री अभिलेख पर ली जाती है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 6.1.2026 की निर्देश-पत्री के आधार पर प्रस्तुत किया कि गाटा संख्या 121, क्षेत्रफल 0.2670 हेक्टेयर, राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में दर्ज है तथा ग्रामवासी लम्बे समय से उस पर अपने मकान निर्मित किए हुए हैं; अतः प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह प्रदर्शित करने हेतु कि उक्त भूखण्ड आबादी के रूप में दर्ज है, प्रस्तुत लोकहित याचिका के साथ संलग्न खताौनी की प्रति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।
5. मैंने अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. जो भूखण्ड आबादी के रूप में दर्ज है, उसके संबंध में प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।

7. इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. तदनुसार, लोकहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

सी.प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।